न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –72/2021 (Bank Case)

GCMS NO : 2021/218

''आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड'' (जो पूर्व "हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय– 201–202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर– 302020 में स्थित व कार्यरत है।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री जयप्रकाश पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल (ऋणी/बंधककर्त्ता)
पताः– मकान नं. 6बी–5, ब्लॉक 6बी, महावीर नगर 3, विज्ञान नगर, पीआईपी कोटा लाडपुरा कोटा राजस्थान–324005
दूसरा पताः– मकान नं. 6बी–5, ब्लॉक 6बी, महावीर नगर 3, कोटा जिला कोटा राजस्थान
2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री जयप्रकाश पालीवाल (सह–ऋणी)
पताः– मकान नं. 6बी–5, ब्लॉक 6बी, महावीर नगर 3, विज्ञान नगर, पीआईपी कोटा लाडपुरा कोटा राजस्थान–324005
3. श्री सतीश पालीवाल पुत्र श्री जय प्रकाश पालीवाल (सह–ऋणी)
निवासी–6बी–5, ब्लॉक 6बी, महावीर नगर 3, विज्ञान नगर, पीआईपी कोटा लाडपुरा कोटा राजस्थान–324005
4. श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरबजीत सिंह (जमानती)
पता :– 1–ए–9, महावीर नगर एक्सटेंशन कोटा राजस्थान–324009

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17.11.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ''आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड'' (जो पूर्व हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय– 201–202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर– 302020 में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 10 अप्रेल 2017 को 38,00,000/– रूपये (अक्षरे अडतीस लाख रूपये) एवं दिनांक 10 अप्रेल 2017 को 26,00,000/– रूपये (अक्षरे छब्बीस लाख रूपये) कुल 64,00,000/–रूपये (अक्षरे चोषठ लाख रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री जयप्रकाश पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल की सम्पत्ति, मकान नं. 6बी–5, ब्लॉक 6बी, महावीर नगर 3, कोटा जिला कोटा राजस्थान कुल क्षेत्रफल 90 स्क्वायर मीटर है, जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मकान नं. 6बी–43, उत्तर में मकान नं. 6बी–6, दक्षिण में– मकान नं. 6बी–4** है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 40,83,452.41/–रूपये (अक्षरे चालीस लाख, तिरासी हजार, चार सौ बावन व इकतालीस पैसे मात्र) एंव 28,37,354.41/–रूपये(अक्षरे अठाईस लाख, सैतीस हजार, तीन सौ चव्वन व इकतालीस पैसे मात्र) कुल रूपये 69,20,806.82/–रूपये (अक्षरे उनहत्तर लाख, बीस हजार, आठ सौ छः व बियासी पैसे मात्र) दिनांक 30.03.2021 तक शेष देय है व दिनांक 31.03.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 31.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 31.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **श्री जयप्रकाश पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल की सम्पत्ति, मकान नं. 6बी–5, ब्लॉक 6बी, महावीर नगर 3, कोटा जिला कोटा राजस्थान कुल क्षेत्रफल 90 स्क्वायर मीटर है, जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मकान नं. 6बी–43, उत्तर में मकान नं. 6बी–6, दक्षिण में– मकान नं. 6बी–4** है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.11.2021 को सुनाया गया ।

17/11/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)